

Statement

Annexure

Village Public Telephone Programme Status on 7.11.97

Circles	Total village on 1.4.97 A	Achivement 97-98 upto 7.11. E	Cumulative villages covered G
1. Andman & Nicobar	292	12	123
2. Andhra Pradesh	29460	505	21777
3. Assam	22224	1277	91141
4. Bihar	79208	720	16289
5. Gujarat	18125	0	13923
6. Himachal Pradesh	16997	412	6543
7. Haryana	7018	33	5487
8. Jammu & Kashmir	6453	17	2070
9. Karnataka	27024	541	18022
10. Kerala	1530	0	1530
11. Madhya Pradesh	71526	355	35722
12. Maharashtra	40430	1148	27589
13. North-East	14197	109	3245
14. Orissa	46989	806	16979
15. Punjab	13252	682	12689
16. Rajasthan	37889	404	17729
17. Tamil Nadu	20196	1040	18078
18. U.P. (East)	75462	2187	25581
19. U.P. (West)	37106	406	14363
20. West Bengal	38337	339	11324
21. Calcutta	468	22	443
22. Delhi	191	0	191
Total	604374	11015	278847

All villages covered in Kerala & Delhi.

Gujarat Circle's remaining villages to be covered by reliance.

डाक कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

13. **चोधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या संचार मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि;

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बांटने का कार्य करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है, उन्हें क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई है और उनका वेतनमान क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हम कर्मचारियों के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बांटने के कार्य के संबंध में किसी प्रकार का असंतोष है; यदि हां, तो वह असंतोष क्या है;

बांटने वाले इन कर्मचारियों के कार्य से लोगों को अनेक शिकायतें हैं; यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण का कार्य 79880 अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों को देय मासिक भत्तों की अनुमोदित दरें

1.1.96 से प्रतिमाह 780/- रु. से लेकर 1365/- रु. के बीच है, जो उनके कार्यभार पर निर्भर करती है। ऊपर दर्शाए गए भत्ते के अलावा अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट निम्नलिखित अतिरिक्त भत्ते पाने के भी हकदार है:-

(i) मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू दरों के समतुल्य।

(ii) 2/- रु. प्रतिमाह की दर से नियत स्टेशनही प्रभार।

(iii) जहां लागू होता है, 30/-रु. प्रतिमाह की दर से साइकिल मोटेनेन्स अलाउंस।

(iv) अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों को उनकी वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर वर्ष में एक बार उतने ही दिनों के अनुग्रह बोनस का भुगतान किया जाता है, जितने दिनों का विभागिय कर्मचारियों को किया जाता है।

(v) **उत्तराखंड डीवीजन भत्ता:** उत्तराखंड डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में 40/-रु. प्रतिवर्ष अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है बशर्ते कि उन्होंने उस वर्ष मार्च माह से अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर लगातार कार्य किया हो।

(vi) **सामुहिक बीमा योजना** अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1.4.92 से सामुहिक बीमा योजना में शामिल किया गया है। 1.4.1992 से पहपले नियुक्त हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की इस योजना में भागेदारी ऐच्छिक है तथा 1.4.92 को अथवा इसके बाद नियुक्त हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए यह अनिवार्य है। इस योजना में 10/-रुत प्रतिमाह भुगतान करने पर 10,000/-रु. के रिस्क कवर की सुविधा दी जाती है। इनमें से 3.50 रु. इश्योरेंस कवर के तौर पर लिए जाते हैं और 6.50 रु. सेविंग्स कम्पोनेंट के रूप में होते हैं। यदि कोई अतिरिक्त विभागीय एजेंट सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा नौकरी छोड़ देता है तो उसे जमा हुए सेविंग्स कम्पोनेंट का ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है। मृत्यु के मामले में नामित

व्यक्ति को 10,000/- रु. तथा संचायित सेविंग्स कम्पोनेंट का भुगतान किया जाता है।

(vii) अनुग्रह-उपवान 6000/-रु. अनुग्रह उपदान के भुगतान के लिए न्यूनतम अपेक्षित अनिवार्य सेवा 10 वर्ष है।

ऐसे अवसर भी आए हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने डाक-वितरण के संबंध में कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की है। ये शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के वितरण तथा मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब से संबंधित हैं। यह विलम्ब डाक से जाने वाली बसों, रेलों तथा हवाई जहाजों के रद्द हो जाने/इनके देरी से चलने, बाढ़ और भुस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के वितरण से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनमें राज्य परिवहन प्राधिकारियों के साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करना भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के पारेषण और वितरण की विभिन्न स्तरों पर निरंतर मानीटरिंग की जाती है और जहां कहीं भी कमियां ध्यान में आती हैं, वहां त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

Strike by Telecom Employees

14. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the country wide strike by the Telecom Employees from November 12, 1997.

(b) if so, what are their demands;

(a) whether any efforts have been made from Government side to settle the issues with the Bhartiya Telecom Employees Federation; and

(a) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes Sir.